09-04-24

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

विविध अपील वाद संख्या–23/2016–17

ओबैदुल्लाह अंसारी

बनाम

राज्य

(अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका)

आदेश

यह वाद आवेदक श्री ओबैदुल्लाह अंसारी, पिता–श्री हसनुल्लाह अंसारी, ग्राम–सोनपुरवा, थाना–रंका, जिल–गढ़वा से दिनांक 13.12.2016 को प्राप्त आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका द्वारा निर्गत आदेश संख्या 708, दिनांक 21.07.2016, जिसके द्वारा आवेदक की जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या–17/09 को रद्द कर दिया गया, के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी श्री ओबैदुल्लाह अंसारी का अपने आवेदन में कहना है कि–

1. आवेदक ग्राम–सोनपुरवा, थाना–रंका, जिल–गढ़वा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं, जिनकी दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या 17/09 है।
2. आवेदक के विरूद्ध एक फौजदारी वाद में फरार होने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका के आदेश ज्ञापांक 07, दिनांक 05.01.2015 द्वारा उनकी दुकान के आबंटन को नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुन्दर जागृति महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम सोनपुरवा, रंका (अनुज्ञप्ति संख्या–01/2014) के साथ संबद्ध किया गया था।
3. लंबे समय से फरार रहने एवं दुकान बंद रहने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका के आदेश संख्या 708, दिनांक 21.07.2016 द्वारा आवेदक की जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

4. उक्त जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति को रद्द करने से पूर्व विक्रेता (आवेदक) श्री ओबैदुल्लाह अंसारी से स्पष्टीकरण भी नहीं पूछा गया।
5. आदेश संख्या 708, दिनांक 21.07.2016 में उल्लेखित यह तथ्य कि पत्रांक 335, दिनांक 31.03.2016 द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु फरार होने के कारण उन्हें पत्र का तामिला नहीं हो सका विश्वास किये जाने योग्य नहीं है।
6. यह कि अनुज्ञप्ति को रद्द करने संबंधी उपरोक्त आदेश जल्दबाजी में एवं विधि विरूद्ध निर्गत किया गया है। इस कारण यह आदेश विधि एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से असंगत तथा निरस्त किये जाने योग्य है।
7. यह कि आवेदक के विरूद्ध स्थानीय लोगों द्वारा षडयंत्र कर मिथ्या आधार पर गलत मुकदमा कराया गया था, जिसमें आवेदक को जमानत मिल गया है।
8. यह कि आवेदक द्वारा जन वितरण प्रणाली का कार्य पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करते आ रहे थे तथा कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया गया है। विक्रेता द्वारा किसी भी तरह का कालाबाजारी नहीं की गई है।
9. यह कि आवेदक के पीछे आवेदक की पत्नी, बच्चे एवं माता–पिता हैं तथा जीविका का कोई साधन नहीं है। दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। विक्रेता से स्पष्टीकरण भी नहीं पूछा गया, न ही सुनने का मौका दिया गया, जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के बिल्कुल विरूद्ध है।
10. यह कि आवेदक न्यायालय का हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका का उपरोक्त आदेश संख्या 708, दिनांक 21.07.2016, जिसके द्वारा आवेदक की जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या–17/09 रद्द कर दी गई है, को निरस्त करते हुए उसे बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका के पत्रांक 106, दिनांक 17.02.2017 से प्राप्त एतद् संबंधी मूल संचिका का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि आवेदक के विरूद्ध एक फौजदारी वाद में फरार होने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका द्वारा सर्वप्रथम आदेश ज्ञापांक 07/गो0, दिनांक 05.01.2015 से

उनकी दुकान के आवंटन को नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुन्दर जागृति महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम सोनपुरवा, रंका (अनुज्ञप्ति संख्या–01/2014) के साथ संबद्ध किया गया। तत्पश्चात लंबे समय से फरार रहने एवं दुकान वंद रहने के कारण आदेश संख्या 708, दिनांक 21.07.2016 द्वारा आवेदक की जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। दुकान की अनुज्ञप्ति को रद्द करने से पूर्व विक्रेता (आवेदक) श्री ओबैदुल्लाह अंसारी से पत्रांक 335, दिनांक 31.03.2016 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया, परन्तु फरार होने के कारण उन्हें पत्र का तामिला नहीं हो सका।

उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा से की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा पत्रांक 268/आ0, दिनांक 21.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री ओबैदुल्लाह अंसारी (अनुज्ञप्ति संख्या–17/09) की उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द होने के उपरान्त उस पोषक क्षेत्र अन्तर्गत नयी अनुज्ञप्ति हेतु किसी भी समूह के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। स्पष्टतः अभी भी श्री ओबैदुल्लाह अंसारी (अनुज्ञप्ति संख्या–17/09) की उचित मूल्य की दुकान का आवंटन नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुन्दर जागृति महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम सोनपुरवा, रंका (अनुज्ञप्ति संख्या–01/2014) के साथ संबद्ध है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौखिक समर्पण किया गया कि अवेदक पर स्थानीय लोगों द्वारा षडयंत्र कर मिथ्या आधार पर गलत मुकदमा कराया गया था, जिसमें आवेदक को जमानत मिल गई है एवं Additional Session Judge-V, Garhwa के न्यायालय से दिनांक 23.01.2022 को दोषमुक्त कर दिया गया है। उनके द्वारा एतद् संबंधी Additional Session Judge-V, Garhwa के न्यायालय से पारित न्यायादेश की प्रति समर्पित किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के लिखित एवं मौखिक समर्पण, निम्न न्यायालय अभिलेख तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री ओबैदुल्लाह अंसारी (अनुज्ञप्ति संख्या–17/09) स्थानीय लोगों के द्वारा एक षडयंत्र के तहत आपराधिक

मुकदमे में फंसाया गया, जिसके कारण गिरफ्तारी से बचने के लिए श्री ओबैदुल्लाह अंसारी फरार चल रहे थे। फलतः वे अपनी जन वितरण प्रणाली की दुकान लंबी अवधि तक नहीं खोल सके एवं वितरण प्रभावित हुआ। इस कारण तत्कालीन अनुज्ञापन पदाधिकारी (अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका) द्वारा श्री अंसारी की दुकान से सम्बद्ध लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण को सुचारू करने हेतु उनकी दुकान के आबंटन को प्रथमतः नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुन्दर जागृति महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम सोनपुरवा, रंका (अनुज्ञप्ति संख्या–01/2014) के साथ संबद्ध किया गया एवं लंबी अवधि तक दुकान बंद रखने के कारण उनकी दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। उनका आवंटन अभी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुन्दर जागृति महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम सोनपुरवा, रंका से सम्बद्ध है। उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति या समूह को अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई है। उपरोक्त मुकदमे में श्री अंसारी को Additional Session Judge-V, Garhwa के न्यायालय से दिनांक 23.01.2022 को दोषमुक्त भी कर दिया गया है। आवेदक एक साधारण ग्रामीण परिवार से आते हैं एवं जन वितरण प्रणाली की दुकान से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका द्वारा निर्गत आदेश संख्या 708, दिनांक 21.07.2016 को निरस्त करते हुए श्री ओबैदुल्लाह अंसारी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम–सोनपुरवा, थाना–रंका, जिल–गढ़वा अनुज्ञप्ति संख्या–17/09 को पुनः बहाल करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश की प्रति अनुज्ञापन पदाधिकारी (जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा) को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

5/9/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा

5/9/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2025.01.03 16:51:09 +05:30
Location: 192.168.31.7